

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशी।	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1	HCM-5537/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634	श्रीसंतोष राय पिता श्रीचिरोंजीलाल,125 जवाहरलाल मार्ग,नागदा जिला उज्जैन (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
2	HCM-5539/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634	श्रीराजेश कुमार पिता श्रीहरीशचन्द्र,लिम्बापिपल्या,तहसील ल व जिला उज्जैन (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
3	HCM-5540/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634 विधायक श्रीदिलीपसिंह गुर्जर	श्रीवेदप्रकाश कुमावत,पाडल्या,नागदा जिला उज्जैन (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
4	HCM-5541/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634	श्रीओमप्रकाश पिता श्रीबाबूलाल,ए-131/3 प्रकाशनगर, नागदा जिला उज्जैन (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
5	HCM-5552/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634 विधायक श्रीशांतिलाल धर्बाई	कृ.सीमा राजपूत पिता श्रीभारतसिंह राजपूत,भिड़ावद - 3, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (किडनी एवं फेफड़े के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
6	HCM-5553/10 दिनांक 27.12.2010 आर-3634	श्रीमती आनंदी,जी-20/9 ए महानंदानगर जिला उज्जैन (फेफड़े के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)	एफ ए 7-431/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.01.2011
7	HCM-5653/10 दिनांक 30.12.2010 आर-3698	कोह-ए-फिजा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर कोह-ए-फिजा, भोपाल श्रीशिवशंकर सोलंकी आ. श्रीरमेशचन्द्र,नि.ग्राम बिछड़ोद, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (लिंग की शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	एफ ए 7-439/2010 /एक (1) भोपाल दिनांक 10.01.2011
8		श्रीमती आशा पति श्रीमहेन्द्रसिंह बैस,सुदामानगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011

9	श्रीअजय यादव,विनोद मिल की चाल,उज्जैन पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
10	श्रीरीतेश परमार,श्रीपाल मार्ग,गली न. 3,लखेरवाड़ी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000 /- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
11	श्रीमती कृष्णाबाई पति श्रीबंशीलाल,अब्दालपुरा,उज्जैन विकलांग एवं निर्धन होने से आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
12	सुश्रीश्वेता पिता बालकिशन कोठारी,गोलामण्डी,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
13	श्रीधर्मेन्द्र पिता श्रीरमेश रामी,बेगमपुरा,उज्जैन पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
14	श्रीबृजमोहन पिता श्रीनानूराम गोयल,ई.डब्ल्यू.एस. 135 मुनीनगर,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
15	श्रीमती दुर्गा परिहार पति श्रीप्यारसिंह,शिवशक्तिनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 8,000 /- (रुपये आठ हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011

16		श्रीअशोक खिची पिता श्रीबाबूलाल,दुर्गा कालोनी, फाजलपुरा,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
17		श्रीमुकेश शुक्ला,कार्तिक चौक,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
18		श्रीशंकरलाल महावर,डाबरीपीठा,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000 /- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 13. 01.2011
19	HCM-165 / 11 दिनांक 25.01.2011 आर-253	संचालक,गोकुलदास हार्ट हास्पिटल,इन्दौर श्रीआत्माराम यादव पिता श्रीछीतरसिंह यादव द्वारा श्रीराजेश धर्बाई,निवासी जलोदिया,तह.बड़नगर जिला उज्जैन (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 1,00,000 /- (रु. एक लाख केवल)	एफ ए 7-22 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
20	HCM-159 / 11 दिनांक 25.01.2011 आर-252 राज्यमंत्री श्रीपारसचन्द्र जैन	द गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद (गुजरात) श्रीमती मांगीबाई पति श्रीभगवान सोलंकी,म.न.37 / 2 अंकपात मार्ग,मण्डी रोड़,वार्ड क्रमांक- 7 जिला उज्जैन (पुत्री कु.रचना सोलंकी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 1,00,000 /- (रु. एक लाख मात्र)	एफ ए 7-28 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 31.01.2011
21	HCM-160 / 11 दिनांक 25.10.2011 आर-252	संचालक,चौईथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,इन्दौर , श्रीनरेन्द्र कैथवास,203 आजाद पुरा,बिरलाग्राम,नागदा जिला उज्जैन (पुत्र यश के हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 1,18,000 /- (रु. एक लाख अठारह हजार मात्र)	एफ ए 7-28 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 31.01.2011
22	HCM-161 / 11 दिनांक 25.01.2011 आर-252	श्रीमती सुशीला शर्मा पति श्रीनरेन्द्र शर्मा,204 तृप्ति पैलेस, सांवेर रोड़ जिला उज्जैन (पति के किडनी के उपचार हेतु) कलेक्टर,उज्जैन संबंधित हास्पिटल को भुगतान करे ।	रुपये 1,44,000 /- (रु. एक लाख चौवालीस हजार मात्र)	एफ ए 7-28 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 31.01.2011
23		श्रीमहेश चन्देल,नगर कोट,उज्जैन पत्नि को	रु. 5,000 /- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148 / 2010 / एक

		पैरालिसिस हो जाने के कारण उपचार हेतु आर्थिक सहायता।		(1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
24		श्रीमती कीर्ति राजपूत,निकास चौराहा,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
25		श्रीमती शशि लश्करी,कालीवाड़ा,उज्जैन अत्यंत निर्धन होने के कारण आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
26		श्रीमती हेमलता पत्नि स्व.श्री अर्जुन मीणा,अंकपात मार्ग,अवंतिपुरा,उज्जैन अत्यंत निर्धन होने के कारण आर्थिक सहायता	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
27		श्रीमतीपुष्पा पत्नि श्री हेमंत मालवीय,बुधवारिया, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
28		श्रीशंकरलाल पिता नानूराम,गौतम मार्ग,उज्जैन अत्यंत निर्धन होने के कारण आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 27.01.2011
29		श्री विवेक बरूआ,एम.आई.जी. 7/72,नानाखेड़ा, जवाहर,जिला उज्जैन चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)	एफ ए 7-169/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 10.02.2011
30	HCM-473/11 दिनांक 07.02.2011 आर-411	संचालक,इण्डियन स्पाईनल इंज्यूरीयस सेंटर सेक्टर-सी वसंतकुंज,नई दिल्ली श्री अजमत अली पुत्र श्रीशराफत अली,निवासी बेगमबाग कालोनी, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 35,000/- (रु. पैंतीस हजार मात्र)	एफ ए 7-37/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 17.02.2011
31	HCM-556/11 दिनांक 15.02.2011 आर-477	श्रीमती सीमा बाई पिता श्री रमेशचन्द्र जी,सुतार,ग्राम बीनपुरा,तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (किड़नी के उपचार हेतु)	रुपये 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र)	एफ ए 7-43/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 23.02.2011
32	HCM-531/11 दिनांक 15.02.2011 आर-474 राज्यमंत्री श्रीपारसचन्द्र जैन	संचालक,क्योरवेल हास्पिटल प्रा. लि., 19/1 सी,न्यू पलासिया,इन्दौर श्रीदेवनारायण पिता श्रीरामआधार शुक्ला,31 अम्बर कालोनी,गदा पुलिया	रुपये 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	एफ ए 7-47/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 24.02.2011

		जिला उज्जैन (पैर के उपचार हेतु)		
33	HCM-557 / 11 दिनांक 15.02.2011 आर-478 घोषणा क्र./दि. ए-1382दि.26.12.2010	कलेक्टर,उज्जैन सुश्री मालविका हर्ष जिला उज्जैन (ऑपरेशन हेतु) संबंधित अस्पताल को भुगतान करे ।	रूपये 1,18,000 / - (रु. एक लाख अठ्ठारह हजार मात्र)	एफ ए 7-41 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 24.02.2011
34	HCM-4121 / 10 दिनांक 13.10.2010 आर-2917	संचालक,सी.एच.एल.अपोलो हास्पिटल,इन्दौर श्रीजसवंतसिंह बघेल,वाटरमैन (नैमेत्तिक कर्मचारी) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती सुनीताबाई के ट्यूबर क्लोसिस रोग के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (रु. चालीस हजार मात्र) नियमो को शिथिल करते हुए	एफ ए 7-342 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 04.03.2011
35	HCM-789 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्रीमती सकीना पति श्रीशब्बीर हुसैन,म.न.101 मोहम्मदपुरा, बोहरा बाखल,कमरी मार्ग,वार्ड क्र. 14 जिला उज्जैन (पति के ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
36	HCM-790 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्री इस्माईल भाई देवासवाला पिता श्री नजरअली देवासवाला,म.न.103 सैफी मोहल्ला डुंगरी गली,कलियादेह गेट,जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती जकिया देवासवाला के चर्म एवं किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
37	HCM-791 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्री सैफुद्दीन भाई हुस्तरवाला पिता श्री फिदा हुसैन,म.न. 110, खाराकुंआ बाखल,जिला उज्जैन (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
38	HCM-792 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्री जैनुद्दीन तांम्बावाला पिता श्री मोहम्मद हुसैन,म.न.11, सैफी मोहल्ला केडीगेट,जिला उज्जैन (पुत्री कुमारी सेहरेबानो मिर्गी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
39	HCM-793 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्रीमती अल्फिया पति श्री कुतुबुद्दीन,म.न. 67 वहजीपुरा बाखल,कमरी मार्ग,जिला उज्जैन (ब्रेनट्यूमर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011

40	HCM-794 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्रीमती शेरबानो पति श्री शब्बर हुसैन,म.न.83 सैफी मोहल्ला केडीगेट,जिला उज्जैन (मिर्गी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
41	HCM-795 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्री सैफुद्दीन शाजापुरवाला,म.न. 80 मोहम्मदपुरा,कमरी मार्ग,जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती खुर्शीदा के किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
42	HCM-796 / 11 दिनांक 24.02.2011 आर-602	श्री गुलाम अब्बास वल्द श्री फजल हुसैन,कलालसेरी, डाबरीपीठा, जिला उज्जैन (पुत्रियों की आंखो के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-61 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011
43		श्री विवेक बरूआ पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश,7/7 एफ.जवाहर नगर,नानाखेड़ा,जिला उज्जैन खेल सामग्री क्रय हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000 / - (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-147 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 07. 03.2011
44	HCM-748 / 11 दिनांक 21.02.2011 आर-553	संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,45 सूनिवर्सिटी रोड,दशहरा मैदान,उज्जैन श्री गंगाराम आ. श्री मूलचन्द,नि. ग्राम ढाबलारावेड़ी पो.एवं तह. महिदपुर,जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-60 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 09.03.2011
45	HCM-1355 / 11 दिनांक 11.03.2011 आर-815	श्री फिरोज उद्दीन, मिर्चीनाला जिला उज्जैन (पुत्री कु.अलीना के हाथ के उपचार हेतु) - अतिरिक्त रूप से	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)	एफ ए 7-86 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.2011
46	HCM-1357 / 11 दिनांक 11.03.2011 आर-815	श्री नंदराम धाकड़,आक्याजागीर जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती भूलीबाई के आकस्मिक दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)	एफ ए 7-86 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.2011
47	HCM-1426 / 11 दिनांक 11.03.2011 आर-813 विधायक श्रीरोड़मल राठौर	श्री रमेश पिता श्री देवाजी,बाढकुम्भेद,तह. व जिला उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु) - अतिरिक्त रूप से	रूपये 15,000 / - (रु. पन्द्रह हजार मात्र)	एफ ए 7-88 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.2011
48	HCM-1432 / 11 दिनांक 11.03.2011 आर-813	संचालक,सी.एच.एल.अपोलो हास्पिटल इंदौर श्रीरामेश्वर यादव पिता श्री	रूपये 70,000 / - (रु. सत्तर हजार मात्र)	एफ ए 7-88 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.2011

	विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	भागीरथ जी यादव,लोहाना,तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)		
49		श्री नीरज सेनी पिता गोपाल सेनी,राजीवगांधी,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
50		श्रीमती कमला पति मांगीलाल शर्मा,45 कलालसेरी,उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
51		श्रीलक्ष्मण पिता कुलाई,सिवेज फार्म सदावल, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
52		श्रीकैलाश पिता श्रवनलालजी सिसोदिया,प्रकाशनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
53		श्रीमनोहर पिता शिवनारायण बारोडघ,मालीपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
54		संगीता शर्मा,सार्थकनगर, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
55		विनिता शर्मा,अंकपात मार्ग,जाट धर्मशाला के सामने, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
56		श्रीपुरुषोत्तम गगरे,राजीवनगर, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
57		श्री हरिवल्लभ माहेश्वरी,2 भूपेंद्र भवन बिनोदमिल, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
58		श्रीहरिनारायण परिहार,176 आर्यसमाज मार्ग,मालीपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
59		श्रीकैलाश नारायण शास्त्री,16	रु. 3000/-	एफ ए

		सेठीनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	(रूपये तीन हजार)	7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
60		श्रीकालूसिंह राठौर,छोटीमायापुरी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
61		श्रीमती भूरीबाई पति स्व. जानकीलाल बाथम,फाजलपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
62		श्रीमांगीलाल पिता राधाकिशन,चिमनगंज मण्डी मार्ग,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
63		ब्रजबाला पिता शिवनारायण,गौतम मार्ग, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
64		श्रीसत्यनारायण पाराशर,राजीवनगर, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
65		श्रीप्रदीप लश्करी,54/2 निकास चौराहा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
66		श्री नरहरि पिता विश्वनाथ,प्रीगंज, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
67		श्रीमती प्रेमलता पति मुकेश धाकड़,32 नलियाबाखल, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
68		श्री मोहन सांखला,महावीरनगर, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
69		श्रीप्रकाश गायकवाड़,मस्तराम अखाड़ा,मालीपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
70		श्रीरामचरित दुबे,राजेन्द्रनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक

		सहायता		(1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
71		श्री बंटी पिता स्व.मांगीलाल सांखला,लालबाई फूलबाई मार्ग, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
72		श्रीअनिल पिता वल्लभदास गुप्ता,बुधवारिया हाट, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
73		श्री गोवर्धनसिंह पिता पर्वतसिंह,बुधवारिया हाट, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
74		श्रीरूपेश मेहता,11 मोहननगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
75		श्री मंगलसिंह पिता बहादूरसिंह,गणेश मंदिर,भेरुगढ़, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
76		श्रीमहेश पिता मोतीलाल,माणक चौक,भेरुगढ़, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
77		श्री भूपेन्द्रकुमार पिता सूर्यकिरण गेहलोत, गणेश मंदिर,भेरुगढ़, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
78		श्रीमती दुर्गा पति शरद परमार,14 ब्राम्हण गली,बहादूरगंज, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
79		श्रीमती मोहनबाई,अंकपात मार्ग, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
80		श्री गजानंदलालसिंह,59 सुभाषनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
81		श्री शंकरलाल पिता रतनलाल महावर,डाबरीपीठा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011

				02.2011
82		श्रीदीपकसिंह पिता समरपालसिंह,कार्तिक चौक, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
83		श्री रामचंद्र पिता लक्ष्मण,भैरुनाला, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
84		श्री माणकलाल जाधव,उर्दुपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
85		श्री सुनील कलोसिया,वृंदावनपुरा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
86		श्री बंशीलाल जोशी,जहाजगली, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
87		कु.प्रतिभा पिता रामस्वरूप प्रजापति,घासमण्डी, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
88		श्री रतनलाल पिता नानूराम,दुर्गाकालोनी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
89		श्री राजेश मालवीय,भदेड़पुरा,भेरुगढ़, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
90		श्री मोहनलाल मालवीय,राजीवनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
91		श्री राजेन्द्र विश्वकर्मा,मकोड़िया आम,झुग्गी झोपडी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
92		श्री अंकीत कुशवाह,निकास चौराहा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011

93		श्रीशिवमंगलसिंह परिहार,पुलिस लाईन, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
94		प्रियंका पिता राधेश्याम पांचाल,अंकपात रोड़,उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 3000/- (रुपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
95		श्री शुमांशु पिता जगदीशचन्द्र शर्मा,अंबर कालोनी,उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
96		हेमलता वर्मा,इंदिरानगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
97		श्री मुकेश पिता स्व. गेंदालाल,उर्दुपुरा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
98		श्रीमती कमलाबाई पति स्व. प्रयागलाल जी,गौतम मार्ग, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
99		श्री गजेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह,दिलोदरी ग्राम तहसील तराना,जिला उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
100		श्रीगोपाल टेलर,बेगमपुरा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
101		श्री इंदरमल जैन,50 कलालसेरी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
102		श्री सुरेन्द्र सोनी,लखेरवाड़ी, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
103		श्री ललित रायकवार,कंचनपुरा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
104		श्री सुनील बड़गोतिया,किशनपुरा,	रु. 12,000/-	एफ ए

		उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	(रूपये बारह हजार)	7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
105		श्रीमती लता वर्मा,6 शास्त्रीनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
106		श्री संतोष जैन,खाराकुआ, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
107		श्री शाकीर पिता ईस्माईल खान,बेगमबाग, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
108		श्री शेलेन्द्र शर्मा,इंदिरानगर,उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
109		श्री मांगीलाल पांचान,मोहननगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
110		श्री विवेक उदगीर,इंदिरानगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
111		श्री रमेशचन्द्र पिता रघुनाथ माली,निवासी म.न.1345 गली न. 05,वृंदावनपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
112		श्री देवनारायण पिता श्रीरामआधार शुक्ला,निवासी 21 अंबर कालोनी,गदा पुलिया, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
113		पूर्णमा बोडाना पिता श्री बाबूलाल बोडाना,79 केन्द्रीयनगर, हामुखेड़ी, उज्जैन पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
114		डॉ. रामसिंह यादव,उर्दुपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22.02.2011
115		श्रीमती किरण पति श्री सुनील	रु. 5000/-	एफ ए

		पंवार,गोलामण्डी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	(रूपये पांच हजार)	7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
116		श्री अभय पिता श्री विजय दुबे,मालीपुरा, उज्जैन पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
117		कु. भावना पिता स्व.श्री शिवचरण वर्मा,भेरुनाला, उज्जैन पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
118		श्री हेमेन्द्र शर्मा,देसाईनगर, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
119		श्री सत्यनारायध,नलकुम चंमाकुंडी, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
120		श्री चंद्रसिंह पिता श्री लालसिंह,कुशलपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
121		श्री उमेश पिता स्व.श्री हरिशंकर हंसवाल,अब्दालपुरा, उज्जैन उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
122		श्रीमती पुखराज वोरा पति स्व.श्री प्रकाशचन्द्र,म.न.5 छोटा सराफा, उज्जैन अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011
123		श्री सुशील कुमार अग्रवाल,विनोद भवन,विनोदमिल,आगर रोड़, उज्जैन पुत्र के उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)	एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 22. 02.2011

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,म.प्र. शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 7,9 से 21,24 से 38, 40 से 59, 62 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित

अनुसार राशि 4,21,000/- (रूपये चार लाख इक्कीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री दिनेश यादव,गांधीनगर,नागझिरी,उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)
2	श्री दर्गिश पोरवाल,54 छोटा सराफा, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
3	श्री बाबूलाल साकोनिया,शिंदे नर्सिंग होम, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)
4	श्री नन्दू सूर्यवंशी,गली न.7 अशोकनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)
5	कु. नीलम शर्मा,कार्तिक चौक, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
6	श्रीमती उषा बंगरिया,3 विवेकानंद कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
7	श्री सेवाराम गेहलोत,11 अंकपात मार्ग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 8,000/- (रूपये आठ हजार)
8	कु.हिमानी पिता श्री नवीन सोलंकी,विश्वकर्मा नगर, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
9	कु.संगीता पिता श्री बाबूलाल,117 ढाबारोड़, उज्जैन	विकलांग होने से हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
10	श्री रामलाल पिता श्री रामचन्द्र सेहिवाल,29 खत्रीवाड़ा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)
11	श्री भागीरथ पिता श्री पर्वतलाल मण्डोरा,7/5 बिलोटीपुरा, दानीगेट, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
12	श्री दिनेश पिता श्री बृजमोहन,पुषांजलिनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
13	श्रीमती सुशीला राठौर,गौडबस्ती,हरसिद्धी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
14	श्रीमती अन्नापूर्णा पति श्री भगवानलाल शर्मा,4/1 संत कबीर नगर,नानाखेड़ा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)
15	श्री ललित पिता श्री द्वारकादास दुबे,66/1 गोदी गली,पानदरीबा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)
16	रितू पिता श्री मदनलाल माली,भेरूखेड़ा,बड़नगर रोड़, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
17	श्री अनुज रावल,बुधवारिया, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5400/- (रूपये पांच हजार चार सौ हजार)
18	श्री शब्बीर भाई,मोहल्ला चंद का कुंआ, उज्जैन	विकलांग होने से हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)
19	श्री दामोदर पिता श्री बालमुकुन्द पंवार,आर्य समाज,बहादुरगंज, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)

20	श्रीमती नादान बैन,मोहनपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
21	कु.जानवी पिता श्री विमल पंवार,31 डाबरीपीठा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)
22	श्री प्रदीप बारोड़,नागझिरी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
23	श्री नौशाद जहूर अहमद,बेगमबाग कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
24	कु.अंजली श्री श्रीवास,जयसिंहपुरा, उज्जैन	विवाह हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
25	श्री आनंद पिता श्री कैलाश राठौर,मालीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
26	श्री तोलाराम पिता श्री दयाराम गोधा,तिलकेश्वर कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)
27	श्रीमती पुष्पाबाई पति श्री अंबाराम गेहलोत,पिपलीनाका, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)
28	श्री अमरसिंह बनोलिया,मेट्रो टॉकीज के सामने, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
29	कु. मुस्कान पिता श्री जितेन्द्र भाटीया,श्री कृष्ण कालोनी, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
30	श्री राहुल लश्करी,मिर्चीनाला,उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
31	श्री अशोक चौरसिया,संजीवनी हॉस्पिटल, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
32	कु.नैना पिता श्री अशोक कुशवाह,ग्यारसीनगर, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
33	श्री मंगल,तिलकेश्वर बस्ती, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
34	श्री अजय गौसर,13 हीरामिल की चाल, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
35	श्रीमती अनिता शर्मा,गौतम मार्ग,मालीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
36	कु. रत्ना पिता चंदनकुमार नवरंग,बेगमपुरा, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
37	श्री रमेश परमार,छोटी मायापुरी, उज्जैन	अत्यंत निर्धन होने से हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार)
38	कु.मुमतहेना खान पिता श्री सलीम खान,अति. विश्व बैंक कालोनी, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 7,000/- (रुपये सात हजार)
39	श्री गोपाल वागले,जयसिंहपुरा, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5000/- (रुपये पांच हजार)
40	श्री गुणेश उपाध्याय,हरसिद्धी मंदिर, उज्जैन	पिता के उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)
41	श्री मुकेश बठानिया,हिरामिल की चाल, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000/- (रुपये चार हजार)
42	श्री भविष्य पिता श्री नंदराम मालवीय,जूना सोमवारिया,	अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/-

	उज्जैन		(रूपये चार हजार)
43	श्रीमती लक्ष्मीबाई पति श्री मुकेश नवरंग,गोन्सा दरवाजा, उज्जैन	अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
44	श्री ईस्माईल पिता श्री अब्देअली,तैयबपुरा बाखल, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
45	श्रीमती पुष्पा मीणा,जहसिंहपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)
46	श्री छतरसिंह पिता श्री इंदरसिंह,ढांचा भवन, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
47	श्रीमती सीताबाई पति श्री हुकमसिंह,बहादुरगंज, उज्जैन	अत्यंत निर्धन होने से हेतु आर्थिक सहायता	रु. 5000/- (रूपये पांच हजार)
48	श्री विजय सोलंकी, श्रीकृष्ण कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)
49	श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री भगवान,कानीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
50	श्री अनिल सिसोदिया,छोटा सराफा, उज्जैन	अत्यंत निर्धन होने से हेतु आर्थिक सहायता	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
51	श्रीमती शांतिबाई धोंस,बेगमपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
52	श्री मुन्नालाल पिता श्री बिहारीलाल,नामदारपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
53	श्रीमती रामप्यारीबाई पत्नि स्व. श्री प्रेमचन्द्र,निजातपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
54	श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री मूलचंद तोशनीबाल,सुभाषनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)
55	श्री कैलाश सिसोदिया पुत्र श्री श्रवणलाल,156 प्रकाशनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
56	श्री महेश शर्मा,काजीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता 	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
57	कु. प्रियांशी कोठारी पुत्री स्व. श्री वीरेन्द्र जी कोठारी,सात कलालसेरी,महावीर मार्ग, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:—

- 1— सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-148/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 07.03.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2— आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3— महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4— प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5— प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6— जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7— अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8— साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9— सर्व श्री -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10— उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-86/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 12 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-900 / 11 दिनांक 03.03.2011 आर-684	श्रीमयाराम पिता श्री किशनजी, ग्राम बड़वई, तहसील घटिया जिला उज्जैन (पुत्र प्रवीण के किड़नी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-86 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमयाराम पिता श्री किशनजी, ग्राम बड़वई, तहसील घटिया जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-31/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.03.2011 द्वारा माननीय श्री महेन्द्र हार्डिया,राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्षा,आयुष,तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 120 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री नीलेश जाधव आत्मज श्री मनोहर जाधव,म.न. 7,रामी नगर,आई.टी.आई. के पीछे,उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-31/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.03.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-31/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.03.2011 द्वारा माननीय श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 120 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री नीलेश जाधव आत्मज श्री मनोहर जाधव, म.न. 7, रामी नगर, आई.टी.आई. के पीछे, उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-31/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.03.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 9- सर्व श्री -----
की ओर सूचनार्थ।
- 10- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-105/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 6 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1560/11 दिनांक 16.03.2011 आर-865	श्री अमृतलाल शर्मा पिता श्री भंवरलाल शर्मा बोरमुण्डला,तहसील घटिया जिला उज्जैन (पैरालिसिस रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4000/- (रु. चार हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-105/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री अमृतलाल शर्मा पिता श्री भंवरलाल शर्मा,बोरमुण्डला,तहसील घटिया,जिला उज्जैन (पैरालिसिस रोग के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-89/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 4 तक अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1339/11 दिनांक 11.03.2011 आर-812 विधायक श्रीरामलाल मालवीय	श्री भविष्या बागरी,रूद्राहेड़ा जिला उज्जैन (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-1340/11 दिनांक 11.03.2011 आर-812	श्रीमती मांगीबाई,म.न.37/2 अंकपात मार्ग जिला उज्जैन (पुत्री रचना के पैर के घुटने में कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)
3	HCM-1341/11 दिनांक 11.03.2011 आर-812	श्री उमाशंकर पिता श्री राजाराम,नागदा जिला उज्जैन (पिताजी के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4000/- (रु. चार हजार मात्र)
4	HCM-1343/11 दिनांक 11.03.2011 आर-812	श्रीमती बंसताबाई पिता श्री राधेश्याम बागरी, बिसनखेड़ा,तराना जिला उज्जैन (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 3000/- (रु. तीन हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-89/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/घटिया/तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन/घटिया/तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित

श्री

-
- की ओर सूचनार्थ ।
 - 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-106/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 3 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1698/11 दिनांक 16.03.2011 आर-864	संचालक,सी.एच.एल.अपोलो हास्पिटल,इन्दौर श्री गोपाल पिता श्री भेरूलाल राठौर,54 बेगमपुरा,बनारसी धर्मशाला के सामने,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-106/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-94/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 28.03.2011 द्वारा माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय,मंत्री,वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार,सूचना प्रौद्योगिकी,विज्ञान ओर टेक्नालॉजी,सार्वजनिक उपक्रम,उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण,कुटीर एवं ग्रामोद्योग एवं संसदीय कार्य विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 18 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 20,000/- (रूपये बीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नीता शर्मा, निवासी 125 सिंधपुरी,पीरगली,उज्जैन	ईलाज हेतु	रु. 20,000/- (रूपये बीस हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-94/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 28.03.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन/घटिया की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व सुश्री नीता शर्मा, निवासी 125 सिंधपुरी,पीरगली,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 29.03.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,म.प्र. शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री गोपाल उपाध्याय,निवासी चिन्तामन जवासिया उज्जैन	बच्चो की पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व मे स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 29.03.11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन/घटिया की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री गोपाल उपाध्याय,निवासी चिन्तामन जवासिया, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-112/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 28.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 9 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1790/11 दिनांक 25.03.2011 आर-972	श्री अकबर मोहम्मद पिता श्री शफी मोहम्मद,बिस्तियों की मस्जिद गणगौर दरवाजा कार्तिक चौक के पास जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती रियाना के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रू. आठ हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-112/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 28.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री अकबर मोहम्मद पिता श्री शफी मोहम्मद,बिस्तियो की मस्जिद गणगौर दरवाजा कार्तिक चौक के पास,उज्जैन, जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती रियाना के पेट के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 10 /
आदेश

उज्जैन दिनांक

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-108 / 2010 / एक (1) भोपाल दिनांक 21.03.2011 द्वारा माननीय श्रीजगदीश देवड़ा,मंत्री,परिवहन एवं जेल विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के संशोधित आदेश के अनु.क्र 29 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 5,000 /- (रूपये पांच हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	पूर्व मे अंकित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	संशोधित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती वर्षा पेटारे पत्नि श्री यशवंत पेटारे,8/21 प्रगति नगर,नानाखेड़ा,भोपाल	श्रीमती वर्षा पेटारे पत्नि श्री यशवंत पेटारे,8/21 प्रगति नगर,नानाखेड़ा, उज्जैन	रु. 5,000 /- (रूपये पांच हजार)

योग:-

5,000 /-

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-108 / 2009 / एक (1) भोपाल दिनांक 21.03.11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- श्रीमती वर्षा पेटारे पत्नि श्री यशवंत पेटारे,8/21 प्रगति नगर,नानाखेड़ा,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक 2627 / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक 30.03.2011

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-119/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 29.03.2011 द्वारा माननीय श्री महेन्द्र हार्डिया,राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा,आयुष,तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 2 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 10,000 /- (रूपये दस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री नयन बरूआ आ. स्व. श्री ओमप्रकाश बरूआ,नि. एफ-7/7 नानाखेड़ा,जवाहर नगर,उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000 /- (रूपये पांच हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्रमांक 2627 / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक 30.03.2011

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-119 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 29.03.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री नयन बरूआ आ. स्व. श्री ओमप्रकाश बरूआ,नि. एफ-7 / 7 नानाखेड़ा,जवाहर नगर,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ——— / सा.-2 / 10 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 20.01.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 23 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 94,000/- (रूपये चौरान्चे हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती रेशमबाई पति स्व.श्रीगुलाबचंद, दुर्गा कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
2	श्रीमती माधुरी पति श्रीविजय कोहले, कहारवाड़ी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
3	श्रीमोहनलाल परमार पिता श्रीपन्नलाल परमार, ढांचा भवन, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
4	श्रीकन्हैयालाल पिता श्रीभेरूलाल, विराटनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
5	श्रीगजराजसिंह पिता श्रीरणधीरसिंह यादव, मंगलनगर, आगररोड़, उज्जैन	पुत्र की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
6	श्रीमती सुशीला देवी पति श्रीदादाराव, मकोडिया आम आगररोड़, उज्जैन	बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
7	श्रीआनंद पिता श्रीबहादुरसिंह, गोलामण्डी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
8	श्रीमती विनोदकुमारी पति स्व.श्रीविनयकुमार जैन, गौतममार्ग, नयापुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
9	श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा, ढांचाभवन, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
10	श्रीमती चंद्रकला भावसार, 21 अब्दालपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
11	श्रीबंशीलाल पिता श्रीबाबूलाल, अब्दालपुरा, उज्जैन	विकलांग होने से आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
12	श्रीलक्ष्मीनारायण बैरागी, दुर्गा कालोनी, उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 3000/- (रूपये तीन हजार)
13	श्रीमती अर्चना पति श्रीअनिल जैन, सखीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
14	श्रीमती संगीता पति श्रीसंतोष जैन, नामदारपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
15	श्रीलक्ष्मीनारायण पिता श्रीनंदराम जी, अवंतिका कालोनी, गुमानदेव मंदिर के सामने, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)
16	श्रीमती उषा पति श्रीप्रेमचन्द्र अजमेरा, भेरुनाला गौतम मार्ग, नयापुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 4000/- (रूपये चार हजार)
17	श्रीरमेशचन्द्र चौरसिया, गौतम मार्ग, नयापुरा,	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/-

	उज्जैन		(रूपये दस हजार)
18	श्रीमुस्ताद अहमद,60 जानसापुरा, उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /— (रूपये तीन हजार)
19	श्रीसेवाराम मालवीय,अंकपात मार्ग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000 /— (रूपये पांच हजार)
20	श्रीरामचन्द्र पिता स्व.श्रीसुखदेव ठाकुर,19 रामेश्वर की गली,सती दरवाजा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 4000 /— (रूपये चार हजार)
21	श्रीसुधीर तिवारी,अंकपात मार्ग, उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000 /— (रूपये पांच हजार)
22	श्रीइस्माईल पिता श्रीअब्देअली,नारियलवाला कमरी मार्ग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /— (रूपये तीन हजार)
23	श्रीमती सीमा पण्ड्या पति स्व.श्रीअनिल पण्ड्या,मालीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 3000 /— (रूपये तीन हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-148/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 20.01.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन/घटिया की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-51/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 04.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 14 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-706/11 दिनांक 17.02.2011 आर-508	संचालक,आर्शीवाद नसिंग होम रिजवी निकेतन,राडेजा रूगनालय मार्ग,मुम्बई श्री आदित्य दुबे आ. श्री मांगीलाल दुबे,निवासी लोकमान्य तिलक स्कूल के सामने,पानदरीबा जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-51/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 04.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-69/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 10.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 11, 12 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-945/11 दिनांक 03.03.2011 आर-693	श्री धनश्याम पंथी,30/2 मेट्रो टॉकिज के पास जिला उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)
2	HCM-947/11 दिनांक 03.03.2011 आर-693	श्री रमेशचन्द्र पिता श्री सुखदेव,3/10 किशनपुरा, कालकामाता मंदिर के पास,मक्सीरोड़,उज्जैन जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती मम्मी बाई के पेट के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-69/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 10.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित 1- श्री धनश्याम पंथी,30/2 मेट्रो टॉकिज के पास,उज्जैन
2- श्री रमेशचन्द्र पिता श्री सुखदेव,3/10 किशनपुरा, कालकामाता मंदिर के पास,मक्सीरोड़, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-104/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 5 से 10 तक अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1625/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्री नवनीत पांचाल,ढाबारोड़,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र अर्थव के हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)
2	HCM-1627/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्रीप्रेमसिंह,खरसोदखुर्द,तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती कलावती के स्तन कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)
3	HCM-1629/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्री विष्णु कुमार डबकरा,12 दीपालय फ्रीगंज,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्री मोनिका के लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
4	HCM-1631/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्रीमती कविता कुमावत पति श्री श्यामलाल कुमावत,महावीर नगर, भैरवगढ़ जिला उज्जैन (हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)
5	HCM-1633/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्री उमेक सिंह पिता श्री बहादुरसिंह,ग्राम जैथल,तहसील घटिया जिला उज्जैन (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)
6	HCM-1634/11 दिनांक 16.03.2011 आर-866	श्री फैयूयाज खान,बिलोटीपुरा,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र फरीद के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-104 / 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 26.03.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/घटिया/तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन/घटिया/तराना/नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-125/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 25.04.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 7 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-1996/11 दिनांक 13.04.2011 आर-1175	श्रीमती जी.आर.दोषी एण्ड श्रीमती के.एम.मेहता इंस्टिट्यूट आफ किडनी डिसेस एण्ड रिसर्च सेंटर बी.जी.मेडिकल कालेज एण्ड सिविल हॉस्पिटल केम्पस असरवा अहमदाबाद,गुजरात श्री प्रकाश शर्मा आ.श्री राजेन्द्र शर्मा,नि.ग्राम रजला,तहसील नागदा, जिला उज्जैन (किडनी के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-125/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 25.04.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री प्रकाश शर्मा आ.श्री राजेन्द्र शर्मा,नि.ग्राम रजला,तहसील नागदा, जिला उज्जैन । (किडनी के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-134/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 03.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 20 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2291 / 11 दिनांक 18.04.2011 आर-1231	संचालक, अरविंदो इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्दौर श्री भरत जायसवाल पिता श्री कन्हैयालाल जायसवाल हरसिद्धी रोड़, उज्जैन जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (रु. चालीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-134 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 03.04.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री भरत जायसवाल पिता श्री कन्हैयालाल जायसवाल, हरसिद्धी रोड़, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-172/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 20.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 18 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2647 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1215	श्री कुशालसिंह आ. अमरसिंह, निवासी ग्राम नामलपुर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-172 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 20.05.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री कुशालसिंह आ. अमरसिंह, निवासी ग्राम नामलपुर, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-167/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 19.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 2 से 6 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2576 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1401 घोषणा क्रमांक / दिनांक ए1264, 15.03.2010	श्री राहुल पिता श्री लखनलाल डोगला जिला उज्जैन (किड़नी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-2577 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1401 घोषणा क्रमांक / दिनांक ए0563, 15.03.2010	श्री राकेश ब्राह्मण पिता श्री जोरावरसिंह हामूखेड़ी जिला उज्जैन (पुत्र सुमित के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
3	HCM-2578 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1401 घोषणा क्रमांक / दिनांक ए0563, 15.03.2010	श्रीमती विष्णुबाई पति श्री बद्रीलाल, मानपुरा जिला उज्जैन (पति एवं पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 6,000 / - (रु. छः हजार मात्र)
4	HCM-2579 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1401 घोषणा क्रमांक / दिनांक ए0563, 15.03.2010	कुमारी किरण पिता श्री कैलाश भाट, हामूखेड़ी जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
5	HCM-2580 / 11 दिनांक 04.05.2011 आर-1401 घोषणा क्रमांक / दिनांक ए0563, 15.03.2010	श्री हरि पिता श्री नानूराम बलाई, हामूखेड़ी जिला उज्जैन (पुत्र गौरव के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-167 / 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 19.05.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-186/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 23.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 4 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2767/11 दिनांक 07.05.2011 आर-1440	श्रीमती किरण पंवार पति श्री सुनील पंवार, 2 गोला मण्डी, गुरु मंदिर की गली जिला उज्जैन (पुत्र अंश पंवार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-2772/11 दिनांक 07.05.2011 आर-1440	श्री गोकुल सिसौदिया, गली न.3, जूना सोमवारिया, झुगगी झोपड़ी जिला उज्जैन (पैर के उपचार हेतु)	रुपये 4000/- (रु. चार हजार मात्र)
3	HCM-2776/11 दिनांक 07.05.2011 आर-1440	श्री गोविन्द परमार पिता श्री रमेश परमार ग्राम लालपुर जिला उज्जैन (बी थैलेसिमिया रोग के उपचार हेतु) कलेक्टर संबंधित हास्पिटल को भुगतान करे।	रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)
4	HCM-2780/11 दिनांक 07.05.2011 आर-1440 सांसद श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	श्री जितेन्द्र पिता श्री पर्वत, जूना सोमवारिया, वीर दुर्गादास मार्ग, बड़नगर जिला उज्जैन (पत्नि की मृत्यु हो जाने के कारण आर्थिक सहायता)	रुपये 4000/- (रु. चार हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-186/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 23.05.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक —————/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-199/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 24.05.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 6 व 7 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	कु.सोनल शर्मा,146 मंगल कालोनी,सेठीनगर, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार)
2	श्री दिशांत बिसारिया,117 विवेकानंद कालोनी, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2010-11 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-199/2010/एक (1) भोपाल दिनांक 24.05.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन/घटिया की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री _____
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-211/ 2010/एक (1) भोपाल दिनांक 28.05.2011 द्वारा माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल,राज्यमंत्री,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के संशोधित आदेश के अनु.क्र 3 व 6 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 20,000/- (रुपये बीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	पूर्व मे अंकित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	संशोधित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री रितेश देरवार पुत्र श्री राकेश जी देरवार, आजादपुरा,बिरलानगर,नागदा,जिला उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु.5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)
2	श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री धतरसिंह,महिदपुर रोड़, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु.15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
योग:-			20,000 /-

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों वैवेकिक अनुदान-(42)-सहायक अनुदान -007- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-211/2009 /एक (1) भोपाल दिनांक 28.05.11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,नागदा/महिदपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- संबंधित श्री/श्रीमती -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-201/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 31.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 5 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2988/11 दिनांक 23.05.2011 आर-1534 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द जैन	संचालक,संजीवनी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, उज्जैन श्री संतोष मेहरे पिता श्री बाबूलाल जी मेहरे, 1 दीपालय विनोद मिल परिसर जिला उज्जैन (पिता जी के ब्रेनहेमरेज के उपचार हेतु)	रुपये 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-201/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 31.05.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री संतोष मेहरे पिता श्री बाबूलाल जी मेहरे, 1 दीपालय विनोद मिल परिसर, जिला उज्जैन ।
(पिता जी के ब्रेनहेमरेज के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-210/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.06.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3075 / 11 दिनांक 26.05.2011 आर-1566	संचालक, बॉम्बे हॉस्पिटल रिंग रोड, इन्दौर कु. तरुणा परिहार पुत्री श्री उत्तम सिंह परिहार, नि. गली न. 3, प्रकाशनगर, नागदा जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 2,00,000 / - (रु. दो लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-210 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.06.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री कु. तरुणा परिहार पुत्री श्री उत्तम सिंह परिहार, नि. गली न. 3, प्रकाशनगर, नागदा, जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-149/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 24.05.2011 द्वारा माननीय श्री महेन्द्र हार्डिया,राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा,आयुष,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 5 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 5,000/- (रूपये पांच हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री सतीश धनगर,60 चंद्रशेखर आजाद मार्ग,नागदा, उज्जैन	शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-(44)-सहायक अनुदान -001- प्रत्यक्ष राज सहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पु.क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-149/2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 24.05.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार ----- जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री सतीश धनगर,60 चंद्रशेखर आजाद मार्ग,नागदा, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.
दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक /सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक 06.2011

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 04.06.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,म.प्र. शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 एवं 4 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री राजकुमार पटेल भेरूगढ, जिला उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पंद्रह हजार)
2	कु. साक्षी पिता श्री सरद जैन नयापुरा उज्जैन	पढाई हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 11,000/- (रु. ग्यारह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता -001- प्रत्यक्ष राज सहायक (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

**अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन**

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके आदेश क्रमांक एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 04.06.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्री श्री राजकुमार पटेल भेरूगढ, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- कु. साक्षी पिता श्री सरद जैन नयापुरा उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

**अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन**

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-201/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 31.05.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 5 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-2988/11 दिनांक 23.05.2011 आर-1534 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	संचालक,संजीवनी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,उज्जैन श्रीसंतोष मेहरे पिता श्री बाबूलाल जी मेहरे निवासी 1 दीपालय विनोद मिल परिसर जिला उज्जैन (पिता के ब्रेनहेमरेज के उपचार हेतु)	रुपये 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-201/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 31.05.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित _____
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-220/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 09.06.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 11 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3239/11 दिनांक 30.05.2011 आर-1618	अधीक्षक, एम.वाय.एच. एण्ड एम.जी.एम. कॉलेज, इन्दौर श्री मुकेश पुत्र श्री पूरणलाल, नि. ग्राम पिंगलेश्वर, तहसील घटिया जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-220/ 2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 09.06.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-246/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 16.06.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 3 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3565/11 दिनांक 15.06.2010 आर-1754	संचालक, बॉम्बे हास्पिटल रिंग रोड, इन्दौर श्री जयसिंह पिता श्री मानसिंह ठाकुर, 10 सुदामानगर, उज्जैन जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-246/ 2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 16.06.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-220/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 09.06.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 9 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3237 / 11 दिनांक 30.05.2011 आर-1618	मूलजीभाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल डॉ.वीरेन्द्र, देसाई रोड़ नाडियाड, गुजरात मा.शानू कुशवाह पुत्र श्री धनीराम कुशवाह नि.म.न.106, गली न.2, हाथीपुरा, सांवेर रोड़, उज्जैन जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-220 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 09.06.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-236/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 24.06.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 13 से 15 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3354 / 11 दिनांक 13.06.2011 आर-1716	श्रीबद्रीलाल पिता श्रीनरसिंह बिलवानिया, तह.खाचरौद जिला उज्जैन (पुत्री धापूबाई की कुएं में डूबकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)
2	HCM-3356 / 11 दिनांक 13.06.2011 आर-1716	श्रीमती रेखा कुशवाह पति स्व. श्री हेमराज कुशवाह, 25/8, अशोकनगर, उज्जैन जिला उज्जैन (पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
3	HCM-3358 / 11 दिनांक 13.06.2011 आर-1716	श्री नरेन्द्र सिकरवार, नि. 418 / 2 शास्त्रीनगर श्रीराम आटा चक्की के पास, उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र रोहित के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (रु. पन्द्रह हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-236 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 24.06.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन / खाचरौद की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन / खाचरौद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-147/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 28.06.2011 द्वारा माननीय श्री कन्हैयालाल अग्रवाल,राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन,नर्मदा घाटी विमानन विभाग,म.प्र. शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 6 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती बरखा खापरे,अत्तार का कम्पाउण्ड रेल्वे स्टेशन के सामने,उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 10,000/- (रूपये दस हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों वैवेकिक अनुदान-(44)-सहायक अनुदान -001- प्रत्यक्ष राज सहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-147/2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 28.06.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार ----- जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्रीमती बरखा खापरे,अत्तार का कम्पाउण्ड रेल्वे स्टेशन के सामने,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-211/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.2011 द्वारा माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल,राज्यमंत्री,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के संशोधित आदेश के अनु.क्र 27 व 28 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 30,000/- (रूपये तीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	पूर्व मे अंकित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	संशोधित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री रूपेश शर्मा पुत्र श्री ईश्वरीप्रसाद,निवासी आलमपुर उड़ाना,पोस्ट पंथपिपलई,जिला उज्जैन	ईलाज हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
2	श्री केदारनारायण शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी आलमपुर उड़ाना,पोस्ट पंथपिपलई, जिला उज्जैन	ईलाज हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
	योग:-		30,000 /-

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों वैवेकिक अनुदान-44-राज सहायता -001-प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-211/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- संबंधित श्री/श्रीमती -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-259/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3378/11 दिनांक 13.06.2011 आर-1753	संचालक,सी.एच.एल.अपोलो हॉस्पिटल,इन्दौर श्री जोसेफ ईमानुएल,नि.81/1 सेठीनगर,उज्जैन जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-259/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-235/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7, 8 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-3342 / 11 दिनांक 13.06.2011 आर-1715	श्री बाबूलाल राठौर पुत्र श्री पीमलाल राठौर, ग्राम सिलारखेड़ी जिला उज्जैन (पुत्र धर्मेन्द्र राठौर की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 77,768 / - (रु. सत्हत्तर हजार सात सौ अड़सठ मात्र)
2	HCM-3345 / 11 दिनांक 13.06.2011 आर-1715	गोकुलदास हास्पिटल लिमिटेड डॉ.सरजू प्रसाद मार्ग, इन्दौर श्री भैरूलाल टांक पिता श्री धूलचंद टांक, प्रकाशनगर नागदा, जिला उज्जैन (गोली लगने से घायल हो जाने के कारण उपचार हेतु)	रुपये 2,00,000 / - (रु. दो लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-235 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-261/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 02.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 10 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4159/11 दिनांक 22.06.2011 आर-1839	श्री संजय पिता श्री लक्ष्मणलाल,69 बेगमपुरा,हरी फाटक,उज्जैन जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-261/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 02.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-264/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 6.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 13 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4259/11 दिनांक 25.06.2011 आर-1912	श्री गंगाराम पिता श्री भागीरथ,नाहरखेड़ी,तराना जिला उज्जैन (पुत्री लाडकुंवर की मांसलूश की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-264/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 06.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/तराना की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन/तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 3, 9 से 12 व 14 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 71,000/- (रुपये इक्कत्तर हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्री बसंत भारती, 175 हीरामिल की चाल, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
2	श्री सावन खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री पुरुषोत्तम दास, गीता कालोनी, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
3	श्री राजेश पिता श्री रमेश दीक्षित, महेश नगर, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
4	श्री बृजगोपालसिंह बुंदेला, निवासी अशोकनगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)
5	श्री राजेन्द्र मजावदिया, मुसद्दीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
6	श्री सत्यनारायण पौंचाल, इन्दिरा नगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
7	श्रीमती किरण पेंवार पति श्री सुनील पेंवार, गोলামण्डी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार)
8	श्री चन्दवानी मानव सेवा ट्रस्ट, फ्रीगंज, उज्जैन	शव वाहन के लिये पेट्रोल व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो वैवेकिक अनुदान-44-राज सहायता अनुदान-001-प्रत्यक्ष राज सहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.07.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, उज्जैन/घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 9- सर्व श्री -----
की ओर सूचनार्थ।
- 10- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-260/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 02.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 1 पर अंकित वरुक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4147/11 दिनांक 21.06.2011 आर-1831	संचालक,गोकुलदास हास्पिटल लिमिटेड प्रा.लि.,11 डॉ. सरजू प्रसाद मार्ग,इन्दौर श्री भैरूलाल टांक पिता श्री धूलचंद टांक,प्रकाशनगर नागदा, जिला उज्जैन (उपचार हेतु) अतिरिक्त रूप से नियमो को शिथिल करते हुए	रुपये 1,50,391/- (रु. एक लाख पचास हजार तीन सौ इकानवे मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-260/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 02.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-211/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 13.07.2011 द्वारा माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल,राज्यमंत्री,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र 1 से 3 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 45,000/- (रूपये पैंतालीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	पूर्व मे अंकित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	संशोधित अनुदानग्रहिता का नाम/पता	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती ममता शर्मा पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार जी शर्मा,निवासी 53 सांवरिया परिसर,नानाखेड़ा, उज्जैन	ईलाज हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
2	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, निवासी 53 सांवरिया परिसर,नानाखेड़ा, उज्जैन	ईलाज हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
3	सुश्री अभिलाषा शर्मा पुत्री श्री पी.सी.शर्मा निवासी 1/3 संतनगर,इन्दौररोड़,राम जी चक्की वाले का मकान,उज्जैन	ईलाज हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)
योग:-			45,000 /-

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रीयो द्वारा वैवेकिक अनुदान-44-राजसहायता-001-प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-211/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 13.07.11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- संबंधित श्री/श्रीमती -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7- 199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 19.07.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीप्रदीप सॉवरिया,म.न.54 रामघाट मार्ग, उज्जैन	कैंसर रोग के उपचार हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्- 105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-44-राजसहायता अनुदान- 001-प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 19.07.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व श्रीप्रदीप सॉवरिया,म.न.54 रामघाट मार्ग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-149/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 19.07.2011 द्वारा माननीय श्री महेन्द्र हार्डिया,राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा,आयुष,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 व 2 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	अध्यक्ष,मॉ शिप्रा सामाजिक सांस्कृतिक समिति,ग्राम उज्जैनी,तहसील व जिला उज्जैन	कार्यालयीन सामग्री हेतु आर्थिक सहायता ।	रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-सहायक अनुदान -001- प्रत्यक्ष राज सहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो । भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से करना सुनिश्चित किया जावे ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पू.क्रमांक -----/सा.-2/11/
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-149/2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 19.07.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9- सर्व अध्यक्ष,मॉ शिप्रा सामाजिक सांस्कृतिक समिति,ग्राम उज्जैनी,तहसील व जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 10- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-290 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 21.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1, 2 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4588 / 11 दिनांक 05.07.2011 आर-2073	श्री रवीन्द्रसिंह, 347 / 9 शास्त्रीनगर, जिला उज्जैन (मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)
2	HCM-4589 / 11 दिनांक 05.07.2011 आर-2073	श्री बंशीलाल पिता श्री मांगीलाल, ग्राम बिछड़ोद, तहसील घटिया जिला उज्जैन (दुर्घटना मे घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग -शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-290 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 21.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन / घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन / घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----

की ओर सूचनार्थ।

- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-277/2011/ एक (1) भोपाल दिनांक 11.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1, 2 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4377/11 दिनांक 01.07.2011 आर-2030	मो.शफी आ. श्री उस्मानगनी,नि. 38 राजेन्द्र मार्ग, महिदपुर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग - शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-277/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 11.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,महिदपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-298 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 30.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 6 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4734 / 11 दिनांक 14.07.2011 आर-2253 राज्यमंत्री श्रीपारस जैन	श्री गोपालकृष्ण पाण्डेय, 130 श्रीराम मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, मालीपुरा जिला उज्जैन (पुत्र अनिरुद्ध पाण्डेय के दुर्घटना मे घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (रु. पचास हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग - शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-298 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 30.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7- 199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.08.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 से 11 तक पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 1,80,000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती सूर्यकांता पति श्री राधेश्याम जी उपाध्याय, 78 कहारवाड़ी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
2	कु.बबली पिता स्व.श्री चिमनलाल बेदी निकास चौराहा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार)
3	श्रीमती ममता पति श्री अशोक जैन दौलतगंज, उज्जैन	पुत्र की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
4	फिज्जा पति हकीमउद्दीन ताजपुरवाला नयापुरा बाखल, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 14,000/- (रुपये चौदह हजार)
5	श्रीघासीराम पिता हरसहाय जी शर्मा 1 मोतीबाग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
6	श्री चंद्रशेखर दुर्गादास वर्मा, 24/21 मोतीबाग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
7	श्री बसंतराव पिता गोंविद कार्ले, विश्वास सदन, मोतीबाग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
8	श्री निर्मल कुमार सोनी पिता लालजी हरसिद्धी रोड़, मोतीबाग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
9	श्री ओमप्रकाश पिता रामचंद्र जी गुप्ता हरसिद्धी रोड़, मोतीबाग, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)
10	श्रीमती सुशीला चौहान, 33 राजीव नगर, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 8,000/- (रुपये आठ हजार)
11	श्री रितेश खाबिया, निवासी नमक मण्डी बोथरा की ग्वारी, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्- 105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-44-राजसहायता अनुदान- 001-प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:—

- 1— सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-199 /2011/एक (1) भोपाल दिनांक 01.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2— आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3— महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4— प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5— प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6— जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7— अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8— साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 9— सर्व श्री/श्रीमती _____ की ओर सूचनार्थ ।
- 10— उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-312/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 04.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7 पर अंकित ऋवित को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5147/11 दिनांक 23.07.2011 आर-2348	संचालक,अरविदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, इन्दौर श्री राजू आ. श्री बाबूलाल सोलंकी,निवासी चौधरी कालोनी,पालारोड़,बड़नगर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान को जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-312/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 04.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,बड़नगर की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-313/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 05.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 8 से 11 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5092 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2349	श्रीमती सुनीता निर्मल पति श्री सुरेश निर्मल, 173 प्रकाशनगर, सांवेर रोड़ जिला उज्जैन (पति के मुंह के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)
2	HCM-5094 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2349	श्रीमती दुर्गा परिहार पति श्री प्यारसिंह परिहार, 171 शिवशक्ति नगर जिला उज्जैन (पति के पैर तथा कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 8,000 / - (रु. आठ हजार मात्र)
3	HCM-5096 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2349	श्री निलेश पिता श्री राजेन्द्र शर्मा, ग्राम रजला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (भाई श्री प्रकाश शर्मा के किड़नी के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
4	HCM-5097 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2349	श्री हीरासिंह बोरलिया, 111 नेहरू नगर, नागझिरी, देवास रोड़, उज्जैन, जिला उज्जैन (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 8,000 / - (रु. आठ हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-313 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 05.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन / नागदा की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन / नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-311/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 05.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 8 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5126/11 दिनांक 23.07.2011 आर-2349 विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	श्री हेमन्त सैन,बड़नगर जिला उज्जैन (पुत्र किशन की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-311/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 05.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,बड़नगर की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-305/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 01.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 5 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4979 / 11 दिनांक 19.07.2011 आर-2291	संचालक, एस.ए.एल.हॉस्पिटल, अहमदाबाद (गुजरात) श्रीमती रचना शर्मा पत्नि श्री नीतेश शर्मा, नि. ग्राम बेलाखेड़ा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (रू. पचास हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-311 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 05.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-303/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 30.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 16 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-4892 / 11 दिनांक 18.07.2011 आर-2288	संचालक, बाम्बे हास्टिपल रिंग रोड, इन्दौर श्री जगदीश पुत्र श्री हरिसिंह पाण्डेय, निवासी ग्राम कढ़ाई, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 75,000 / - (रु. पचहत्तर हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-303 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 30.07.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री जगदीश पुत्र श्री हरिसिंह पाण्डेय, निवासी ग्राम कढ़ाई, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-321/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 09.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 13 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5252/11 दिनांक 23.07.2011 आर-2383	संचालक,भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर स्कीम न.54 मेघदूत गार्डन,इन्दौर श्रीमती पुष्पा जैन पत्नि श्री लालचंद जैन,80 सखीपुरा उज्जैन, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-321/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 09.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्रीमती पुष्पा जैन पत्नि श्री लालचंद जैन,80 सखीपुरा, उज्जैन, जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-324/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 09.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7, 8 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5251 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2385	श्री लाखनसिंह,लसूड़िया धांधू,तह.तराना जिला उज्जैन (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)
2	HCM-5253 / 11 दिनांक 23.07.2011 आर-2385	श्री सरफराज, 72 तिलक मार्ग जिला उज्जैन (पुत्र तारिफ की आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-324 / 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 09.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/तराना की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन/तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-199/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 16.08.2011 द्वारा माननीय श्रीपारस जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 एवं 5, 6 तक पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि 24,000/- (रूपये चौबीस हजार केवल) स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	अनुदानग्रहिता का नाम/पता	अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	अमिता शर्मा पुत्री श्री रमेश शर्मा, म.न.94/4 दानीगेट, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 8,000/- (रूपये आठ हजार)
2	कु.सीमा पिता श्री संतोष मेहता, मकोड़िया आम, उज्जैन	पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार)
3	श्रीविजय परमार पिता श्री आत्माराम परमार, हरसिद्धी दरवाजा, उज्जैन	उपचार हेतु आर्थिक सहायता।	रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-(9064)-मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-44-राजसहायता अनुदान-001-प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। भुगतान के पूर्व उक्त आदेशानुसार स्वीकृत राशि का मिलान पूर्व में स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से करना सुनिश्चित किया जावे।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.एफ ए 7-199 /2011/एक (1) भोपाल दिनांक 16.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 9- सर्व श्री/श्रीमती ----- की ओर सूचनार्थ।
- 10- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-331/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 18.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 9 से 11 तक अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5461/11 दिनांक 06.08.2011 आर-2511 विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर	श्रीमानसिंह पिता श्री कुंवरजी गुर्जर,खुरमुण्डी,तहसील खाचरौद,जिला उज्जैन (बिजली करंट से पांच भैसो की मृत्यु हो जाने के कारण सहायता)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-5462/11 दिनांक 06.08.2011 आर-2511	श्रीमती मांगूबाई पति श्री रामलाल जी,चेतनपुरा वार्ड न.1,नागदा,जिला उज्जैन (पुत्र व पुत्रवधु की दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने के कारण सहायता)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
3	HCM-5463/11 दिनांक 06.08.2011 आर-2511	श्री सुरेश चन्द्र पिता श्री रमेशचन्द्र,241 लक्ष्मीनगर,मक्सीरोड़,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र अजय के सर के ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (रु. आठ हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-331/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 18.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/खाचरौद/नागदा की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन/खाचरौद/नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-355/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 25.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 2 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5726 / 11 दिनांक 16.08.2011 आर-2596	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल, इन्दौर श्री हीरासिंह बोरलिया, नि. 61 नेहरू नगर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 75,000 / - (रु. पचहत्तर हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-355 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 25.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री हीरासिंह बोरलिया, नि. 61 नेहरू नगर, जिला उज्जैन। (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-347/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 30.08.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 4 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5616 / 11 दिनांक 11.08.2011 आर-2588	श्री जी.डी.बिरला मेमोरियल हेल्थ सेंटर, महानंदा नगर उज्जैन श्री अजय गंगराड़े आ. श्री जवाहरलाल गंगराड़े, नि. 0-15, 271 के सामने सेठीनगर, उज्जैन, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (रू. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-347/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 30.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।

5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।

6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।

10- संबंधित श्री अजय गंगराड़े आ. श्री जवाहरलाल गंगराड़े, निवासी 0-15 271 के सामने सेठीनगर, उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।

11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) भोपाल के परिपत्र क्रमांक 1385/2011 /14-2 दिनांक 24.06. 2011 के द्वारा देव दीनदयाल देहरादून सामुहिक विकास एवं जनहित विकास समिति,नागदा,जिला उज्जैन को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रूपये 51,000/- (रूपये इक्यावन हजार मात्र) की सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल की ओर परिपत्र क्र.1385/2011/ 14-2 दिनांक 24.06. 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 4- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी,नागदा की ओर सूचनार्थ ।
- 6- तहसीलदार,नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 8- संबंधित अध्यक्ष, देव दीनदयाल देहरादून सामुहिक विकास एवं जनहित विकास समिति,नागदा, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 9- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-356/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 02.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 4 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-5767/11 दिनांक 17.08.2011 आर-2603	श्रीमती दीपमाला पत्नि श्रीराजकुमार मालवीय नि.39/3 सिद्धवट मार्ग मोहल्ला तोड़ी वार्ड क्र.1, भैरवगढ़ जिला उज्जैन (पति के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-356/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 02.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती दीपमाला पत्नि श्रीराजकुमार मालवीय,निवासी 39/3 सिद्धवट मार्ग मोहल्ला तोड़ी वार्ड क्र.1, भैरवगढ़,जिला उज्जैन (पति के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-390/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 10 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-6642 / 11 दिनांक 02.09.2011 आर-2749 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	संचालक, ग्रेटर कैलाश हास्पिटल, इन्दौर श्री नरेन्द्र सोनी, मंगल कालोनी, आगरा रोड़ जिला उज्जैन (पुत्र चेतन के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-390 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 07.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री नरेन्द्र सोनी, मंगल कालोनी, आगरा रोड़, जिला उज्जैन (पुत्र चेतन के कैंसर रोग के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-375/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 12.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 22 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-6216/11 दिनांक 23.08.2011 आर-2672	संचालक,जशदीप हास्पिटल एम.एल.ए. क्वार्टर भदभदा रोड़,भोपाल श्री सुभाष शर्मा आ. श्री एम.एल.शर्मा,नि.ग्राम पीपल्या हरजी,तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (रु. पैतीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-375/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 12.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,महिदपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री सुभाष शर्मा आ. श्री एम.एल.शर्मा,नि.ग्राम पीपल्या हरजी,तहसील महिदपुर,जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-405/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 9, 10 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-6922 / 11 दिनांक 08.09.2011 आर-2784	श्री हरिसिंह आ. श्री भंवरसिंह राजपूत, ग्राम जलवा, तहसील घटिया जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)
2	HCM-6928 / 11 दिनांक 08.09.2011 आर-2784	इंस्टीट्यूट आफ किडनी डिजीज एण्ड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद (गुजरात) श्रीमती धर्मा वर्मा पति श्री अनिल वर्मा, 403 सेठिनगर जिला उज्जैन (पति के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-405 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन / घटिया की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन / घटिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित -----
की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-381/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 13.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 11 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-6376/11 दिनांक 24.08.2011 आर-2685	संचालक,राजश्री हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,स्कीम न. 74-सी सेक्टर डी,विजयनगर,इन्दौर श्री शंकरलाल द्रोणावत आ. श्री एम.एल.द्रोणावत,नि. बी-14 अंजूश्री कालोनी जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-381/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 13.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री शंकरलाल द्रोणावत आ. श्री एम.एल.द्रोणावत,नि. बी-14 अंजूश्री कालोनी, उज्जैन ।
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-410/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 14.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 8 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7037/11 दिनांक 12.09.2011 आर-2831	श्रीमती शहजाद बी पति श्री असकार उद्दीन, बागपुरा जिला उज्जैन (बच्चो के घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-410/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 14.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती शहजाद बी पति श्री असकार उद्दीन, बागपुरा,उज्जैन।
(बच्चो के घायल हो जाने से उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-384/2011 /एक (1) भोपाल दिनांक 14.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-6525/11 दिनांक 25.08.2011 आर-2689	श्रीमती प्रतिभा शर्मा नागदा जिला उज्जैन (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-384/ 2011/एक (1) भोपाल दिनांक 14.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,नागदा की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,नागदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती प्रतिभा शर्मा,नागदा,जिला उज्जैन (किडनी रोग के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-416/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 15.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 4 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7192 / 11 दिनांक 14.09.2011 आर-2852	संचालक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंड एण्ड नेक ऑकोलॉजी, इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट साकेत एक्सटेन्शन, इन्दौर श्री गोविन्द पोरवाल आ. श्री रामचन्द्र पोरवाल, नि. 51 छोटा सराफा जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-416 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 15.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री गोविन्द पोरवाल आ. श्री रामचन्द्र पोरवाल, नि. 51 छोटा सराफा, उज्जैन।
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 5264/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./10 दिनांक 24.08.11के द्वारा कु. गायत्री पिता श्री शंकरलाल, 24 डाबरीपीठा,नागपुरवाले की चाल,उज्जैन को पढाई हेतु रु. 11,000/- (रु. ग्यारह हजार) की सहायता राशि स्वीकृत की है ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र. शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 5264/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./10 दिनांक 24.08.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित कु.गायत्री पिता श्री शंकरलाल,24 डाबरीपीठा,नागपुरवाले की चाल,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 701/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री रमेश बालाजी जोशी,ऋषिनगर,उज्जैन	उपचार हेतु ।	15000
2	श्रीमती विद्या पति स्व.रमेश रामी,घी मण्डी,उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
3	श्री रमेश कुमार शर्मा,गणेशपुरा,मकसीरोड़,उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
		योग:-	24000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 701/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 15.09.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती ----- की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 708/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री रीतेश जैन,सचिव परमार्थ सेवा संस्थान,बड़नगर	गरीब व्यक्तियों के उपचार हेतु ।	15000
2	श्रीमती माया कन्हैयालाल दग्दी,49 उर्दुपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
3	राजू मालवीय,7 गणेशनगर,आगररोड़,उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
4	सुरेन्द्र पिता शंकरलाल,40 जयसिंहपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु ।	3000
		योग:-	34000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 708.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 20.09.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती ----- की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-422/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 27.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7234/11 दिनांक 23.09.2011 आर-2908 राज्यमंत्री श्री पारचन्द्र जैन	संचालक,सी.एच.एल.अपोलो हास्पिटल,उज्जैन श्री नानूराम पिता श्री गोरधनलाल चौहान,शहीदनगर, आगररोड़ जिला उज्जैन (पत्नि श्रीमती हरीबाई के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 33,000/- (रु. तैंतीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-422/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 27.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री नानूराम पिता श्री गोरधनलाल चौहान,शहीदनगर, आगररोड़,उज्जैन । (पत्नि श्रीमती हरीबाई के किडनी रोग के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-428/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 29.09.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7405/11 दिनांक 27.09.2011 आर-2934	श्री गोपालसिंह पिता श्री रामचन्द्र,19 रामेश्वर की गली,सतीगेट जिला उज्जैन (पेट मे गठान के उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-428/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 29.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री गोपालसिंह पिता श्री रामचन्द्र,19 रामेश्वर की गली,सतीगेट,उज्जैन।
(पेट मे गठान के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-434/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 05.10.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 33 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7545/11 दिनांक 28.09.2011 आर-2942	श्रीमती सायरबाई पत्नि श्री गणपत,नि. न्यू इंदिरानगर, नागझिरी,देवास रोड़ जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-434/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 05.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती सायरबाई पत्नि श्री गणपत,नि. न्यू इंदिरानगर, नागझिरी,देवास रोड़,उज्जैन।
(उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

संशोधित आदेश

उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-ए-7-199/2011/एक (1) दिनांक 16.08.2011 के पालन में कार्यालयीन आदेश क्र. 6516/सा.-2/11 दिनांक 18.08.11 द्वारा अमिता शर्मा पुत्री श्रीरमेश शर्मा,निवासी म.न.94/4 दानीगेट,उज्जैन को उपचार हेतु आर्थिक सहायता रू. 8,000/- स्वीकृत की गई थी।

2- उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल के संशोधन आदेश क्रमांक एफ-ए-7-199/2011/एक (1) दिनांक 14.09.2011 के द्वारा अमिता शर्मा पुत्री श्रीरमेश शर्मा के नाम में संशोधित कर अमित शर्मा पुत्र श्री रमेश शर्मा,निवासी म.न.94/4 दानीगेट,उज्जैन को रू. 8,000/- की राशि संशोधित नाम से वितरित की जावे।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- उप सचिव,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-ए-7-199/2011/एक (1) दिनांक 16.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भिजवाने एवं भुगतान की प्राप्ति व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित अमित शर्मा पुत्र श्री रमेश शर्मा,निवासी म.न. 94/4 दानीगेट,उज्जैन । (उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-464/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 20.10.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-8150/11 दिनांक 13.10.2011 आर-3054 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	संचालक,भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,इन्दौर श्रीमती सुनीता परिहार पति स्व.श्री कोमलसिंह परिहार 86 लक्ष्मीनगर कालोनी जिला उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-464/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 20.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती सुनीता परिहार पति स्व.श्री कोमलसिंह परिहार,86 लक्ष्मीनगर कालोनी,उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु) की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-468/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 21.10.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 11 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-8241/11 दिनांक 19.10.2011 आर-3085 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	श्री दिनेश भाटी,40 जैन कालोनी,नयापुरा,उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्री कु.दीपा के कानो के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रू. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-468/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 21.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री दिनेश भाटी,40 जैन कालोनी,नयापुरा,उज्जैन (पुत्री कु.दीपा के कानो के उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक .10.2011

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 764/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 28.10.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	कु. अन्जुम बी पिता अब्दुल मजीद, चंद का कुआ, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
2	कु. तन्जीम बी पिता मो. असलम, कादरपुरा, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
3	कु. तरन्नुम बी पिता मो. असलम, कादरपुरा, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
4	कु. रूखसार बी पिता मो. अनवर, लखेरवाड़ी, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
5	कु. कोसर जहाँ पिता मो. आजाद, घासपुरा, खण्डवा	विवाह हेतु ।	5000/-
6	कु. यासमीन बी पिता मो. सादिक,जामा मस्जिद, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
7	कु. ईरम बी पिता मो. सलीम, गुदरी बाजार, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
8	कु. सीमा बी पिता मरहुम हाजी चांद सा. लखेरवाड़ी, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
9	कु. शन्नो बी पिता मो. सलीम, गुदरी बाजार, उज्जैन	विवाह हेतु ।	5000/-
		योग	45000/-

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:—

- 1— निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 764 / रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 28.10.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2— आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3— महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4— प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5— प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6— जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7— अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8— तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9— सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10— संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----
की ओर सूचनार्थ ।
- 11— उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 762/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 25.10.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री गणेश सोलंकी,बक्षीबाजार,उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
2	श्री महेश कुमार सोलंकी,बक्षीबाजार,उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
3	श्री कैलाश सोलंकी,बक्षीबाजार,उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
4	श्री बाबूसिंह पिता फूलसिंह,33 राजीवनगर,उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
5	श्री अपूर्व पिता अविनाश टोके,मंछामन कालोनी, उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
6	श्री किशोर कुमार शर्मा,कार्तिक चौक,उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
7	श्री पंकज पिता रुघनाथ धनकर,फ्रीगंज,उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
		योग:-	53,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 762/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 25.10.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती _____ की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 728/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 11.10.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री कंकूबाई पति मनुलाल कटारिया,5/9 अवनतुपरा,उज्जैन	उपचार हेतु ।	8000
2	श्रीमती रेखाबाई पति स्व. श्री हेमेन्द्र जैन,ग्राम बपैया,जिला उज्जैन	उपचार हेतु ।	10000
3	श्री अनिल श्रीवास्तव,जयसिंहपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु ।	8000
4	श्री नारायण कछवाय,13 सुदामानगर,उज्जैन	उपचार हेतु ।	10000
5	श्री ओमप्रकाश गुप्ता,अध्यक्ष,भारत विकास परिषद शाखा,सांदिपनी, उज्जैन	विकलांग की मदद हेतु ।	11000
6	श्री उमेश वागले,अखण्ड महाकाल कालोनी,जयसिंहपुरा,उज्जैन	अध्ययन हेतु ।	13000
		योग:-	60,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 728/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2010 दिनांक 11.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती ----- की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-136/2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 27.04.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र. 1 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-0397 / 11 दिनांक 27.04.2011 आर-1	संचालक / डीन, आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन श्री संजय अहिरवार, एम.बी.बी.एस. छात्र जिला उज्जैन (शिक्षण शुल्क भुगतान हेतु)	रूपये 4,11,750 / - (रु. चार लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) नियमा को शिथिल करते हुए

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-सहायक अनुदान -001- अन्य (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-136 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 27.04.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री -----
की ओर सूचनार्थ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ——— / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-474 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 02.11.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 7 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-8304 / 11 दिनांक 29.10.2011 आर-3148	संचालक, बाम्बे हास्पिटल रिंग रोड, इन्दौर श्रीमती किरन बाई पत्नि श्री ताराचंद, नि. ग्राम बाढ़ कुम्भेद, तहसील व जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (रु. बीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-474 / 2011 / एक (1) भोपाल दिनांक 02.11.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती किरन बाई पत्नि श्री ताराचंद, नि. ग्राम बाढ़ कुम्भेद, तहसील व जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र.770/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 31.10.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री प्रेमनारायण चौरषिया, कमरीमार्ग, उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
2	श्री सुधीर अवार्ड, कांगसीपुरा, दानीगेट, उज्जैन	उपचार हेतु ।	11000
3	श्रीमती अनिता पति अरविंद राठौर, कांगसीपुरा, दानीगेट, उज्जैन	उपचार हेतु ।	5000
4	श्री गौतम पिता देवीलाल मीणा, 4 इंदौरगेट, उज्जैन	अध्ययन हेतु ।	5000
5	श्री गौरव पिता विजय, गायत्रीनगर, उज्जैन	अध्ययन हेतु ।	4000
6	श्रीमती अंजना सोनी, नृसिंह मंदिर, छोटा सराफा, उज्जैन	अध्ययन हेतु ।	5000
7	श्रीमती शीला पति महेश, सखीपुरा, उज्जैन	उपचार हेतु ।	3000
		योग:-	44,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 770/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 31.10.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती _____ की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

कमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र.777/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 12.11.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	कु. मुनमुन पिता शंकरलाल भाटिया,पटेलनगर,उज्जैन	अध्ययन हेतु	4000
2	कु. नेहा पिता शरद शर्मा,उर्दूपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु	11000
3	श्री चंद्रकांत पिता शांतिलाल खत्री,218 पटेलनगर,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
4	श्री नरेंद्र पिता ओमप्रकाश चौहान,48/4 बम्ननवाड़ा,उज्जैन	उपचार हेतु	4000
5	मो. जावेद पिता जाकीर हुसैन,सेहसवानी मोहल्ला,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
6	सोहेल पिता नासीर एहमद,जामा मस्जिद के पास,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
7	श्री राकेश शर्मा,सुदामानगर,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
8	श्री रोशनलाल जैन,कलालसेरी,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
9	कु.संगीता पिता हरिनारायण आमलीया,86 महाश्वेतानगर,उज्जैन	अध्ययन हेतु	5000
10	श्रीमती ऊषाबाई कोशल,10 मां दुर्गानगर कालोनी,मकोड़िया आम नाका न. 5,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
		योग:-	54,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 777/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 12.11.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर संबंधित को आज ही भुगतान करने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती _____ की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-482/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 16.11.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 9 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-8437/11 दिनांक 15.11.2011 आर-3235 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	एम.के.हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,7 राम टेकरी कार्नर मंदसौर श्री प्रेमचन्द्र पिता श्री हीरालाल गेहलोत,छोटी कमल कालोनी,वार्ड क्रमांक 25 जिला उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-482/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 16.11.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्रीमती किरन बाई पत्नि श्री ताराचंद,नि. ग्राम बाढ़ कुम्भेद,तहसील व जिला उज्जैन (उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

कमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र.5264/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./10 दिनांक 24.08.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रेमबाई पति श्री बालमुकन्द,निवासी रेगर मोहल्ला,नई कालोनी,धनेरिया रोड़,बघाना,जिला नीमच	उपचार हेतु	5000
2	श्री उदयलाल गायरी,ग्राम भरभड़िया,तहसील नीमच	पुत्री के उपचार हेतु	11000
3	श्री बंशीलाल पिता श्री रमेश,ग्राम खंखराई,तहसील मल्हारगढ़,जिला मंदसौर	उपचार हेतु	5000
4	श्रीमती विमलाबाई पति श्री हरीशचन्द्र,देपुरा,भरतजी गली,मनासा,जिला नीमच	उपचार हेतु	11000
		योग:-	32000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 5264 रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 24.08.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,नीमच/मंदसौर की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर,नीमच/मंदसौर को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,नीमच/मल्हारगढ़/मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- तहसीलदार,नीमच/मल्हारगढ़/मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----
- की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 708/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./10 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती संतोष पति निर्मल जैन,ग्राम कमेड़,जिला रतलाम	उपचार हेतु	15000
2	श्री विनोद सक्सेना,खुटियापुरा स्कूल ब्राम्हण मोहल्ला,तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	उपचार हेतु	5000
		योग:-	20,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 708/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./10 दिनांक 20.09.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,रतलाम/भोपाल की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर,रतलाम/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,रतलाम/बैरसिया,जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- तहसीलदार,रतलाम/बैरसिया,जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

11- की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 728/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 11.10.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती अर्चना दाक्षा,जी-2/294 फ्लेट न.305 गुलमोहर,भरतनगर,भोपाल	अध्ययन हेतु	5000
2	श्रीओमपालसिंह,आई-18 कोटरा सुल्तानाबाद,भोपाल	अध्ययन हेतु	3000
3	कु.सुशीला पिता जगन्नाथ सूर्यवंशी,सदेरा पोस्ट झांगरिया,तह.सीतामऊ,जिला मंदसौर	अध्ययन हेतु	5000
4	श्री रामचन्द्र पिता देवीलाल पंवार,नई इंद्रानगर कालोनी,नीमच	उपचार हेतु	5000
5	श्रीमती शंकुतलाबाई पति ओमप्रकाश,नि. बगाना,नीमच	उपचार हेतु	8000
		योग:-	26,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 728/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 11.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,नीमच/मंदसौर/भोपाल की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,नीमच/सीतामऊ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- तहसीलदार, नीमच/सीतामऊ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----
- 11- की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-497/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 25.11.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 6 से 9 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-8627/11 दिनांक 24.11.2011 आर-3316 विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	श्री कैलाश पिता श्री गप्पूजी यादव, ग्राम निम्बोदा जिला उज्जैन (पैर एवं डायबिटीज रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-8628/11 दिनांक 24.11.2011 आर-3316 विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	श्री कमलेश पाटीदार पिता श्री भेरूलाल पाटीदार, ग्राम खरसौद कलां, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
3	HCM-8639/11 दिनांक 24.11.2011 आर-3316 विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	संचालक, विशेष हास्पिटल गीता भवन, चौराहा, ए.बी.रोड, इन्दौर श्री मोहनसिंह पिता श्री चतुर्भुज सिंह जी पंवार, शिक्षक कालोनी, बड़नगर, जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)
4	HCM-8633/11 दिनांक 24.11.2011 आर-3316 विधायक श्री शांतिलाल धर्बाई	सिम्स हास्पिटल प्रा.लि. अहमदाबाद - 380060 गुजरात श्री राजेश पिता श्री रामेश्वर जी यादव, ग्राम आंजदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (पुत्र गौतम के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्र. -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-497 /2011/एक (1) भोपाल दिनांक 25.11.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन/बड़नगर की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन/बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित ----- की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-487/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 25.11.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 12 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM -8497/11 दिनांक 21.11.2011 आर-3284	संचालक,ग्लोबल हास्पिटल, ई-5/24 अरेरा कालोनी,भोपाल श्रीमती विष्णुलता मंत्री पत्नि स्व. श्री के.डी. मंत्री,निवासी मंत्रीगली,तराना,जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर

जिला उज्जैन

उज्जैन दिनांक

पृ.क्र. -----/सा.-2/11/

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-487/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 25.11.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,तराना की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।

- 10- संबंधित श्रीमती विष्णुलता मंत्री पत्नि स्व. श्री के.डी.मंत्री,निवासी मंत्रीगली,तराना,जिला उज्जैन । (उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 793/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक .6.12.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीमतीशकुन देशमुख,म.न.42,प्रगतिनगर,अशोका गार्डन,रायसेन रोड़,भोपाल	उपचार हेतु	4,000
2	श्रीमती सोहनीबाई पति श्रीबालूराम मीना,ग्राम परलई,विकासखण्ड जावद,जिला नीमच	उपचार हेतु	11,000
योग:-			15,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 793/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 06.12.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,नीमच/भोपाल की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,नीमच/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार, नीमच/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 788 /रा.म. (स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 01.12.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	कु.गुंजन पिता श्रीमुकेश दमानी,नि.लदुना,तह. सीतामऊ,जिला मंदसौर	उपचार हेतु	5000/- (पांच हजार मात्र)
2	श्रीमतीनीताबाई पति श्रीघनश्याम पोरवाल,नि.ढाबलागूजर रोड़,शामगढ़, जिला मंदसौर	पति के उपचार हेतु	4000/- (चार हजार मात्र)
3	मोहन पिता भेराजी बलाई,नि.राजनगर, तह. सीतामऊ,जिला मंदसौर	उपचार हेतु	4000/- (चार हजार मात्र)
4	श्रीविजयराजसिंह पुत्र श्रीलक्ष्मणसिंह महुवा, तहसील सीतामऊ,जिला मंदसौर	उपचार हेतु	8000/- (आठ हजार मात्र)
5	श्रीशिवनाथ पिता श्रीजगन्नाथ छीपा,नि. तारापुर,तह.जावद,जिला नीमच	अत्यंत निर्धन होने से आर्थिक सहायता ।	3000/- (तीन हजार मात्र)
6	श्रीशिवशंकर पिता स्व.श्रीगणपतलाल जी,नि.चुड़ीगली,नीमच	उपचार हेतु	2000/- (दो हजार मात्र)
7	श्रीगोकुल पिता श्रीरामलाल,नि. राजीवनगर,नीमच	उपचार हेतु	3000/- (तीन हजार मात्र)
8	श्रीमनोजसिंह,निवासी जे 263 ई-6 जनता कालोनी,भोपाल	उपचार हेतु	5000/- (पांच हजार मात्र)
9	श्रीआनन्द कुमार सुजाने,बी-7प्लेटिनम प्लाजा, 7 फ्लोर टी.टी. नगर,भोपाल	उपचार हेतु	5000/- (पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 788 /रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 01.12.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,नीमच/मंदसौर/भोपाल की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,नीमच/जावद/शामगढ़/सीतामऊ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,नीमच/जावद/शामगढ़/सीतामऊ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 802/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 10.12.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता पति बालमुकुंद देवड़ा,106 दानीगेट,उज्जैन	उपचार हेतु	10000
2	मनोज वैद्य,ज्ञान टेकरी,भैरुगढ़ रोड़,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
3	श्रीमती ममता पति स्व.आनंदराव भस्मे,पानदरीबा,उज्जैन	उपचार हेतु	10000
4	श्रीमती भागवन्ताबाई पति श्रीरामेश्वर सिंरोज,29 अब्दालपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु	2000
5	नितीन पिता विजय कुमार जैन,खाराकुंआ,उज्जैन	उपचार हेतु	15000
6	श्रीमती सीताबाई पति स्व.मांगीलाल,गायत्री शक्तिपीठ,उज्जैन	विधवा	5000
7	श्रीमती ममता पति स्व.प्रहलाद,गांधीनगर,उज्जैन	विधवा	5000
8	मांगीलाल मालवीय,भदेड़पुरा,भैरुगढ़,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
9	भगवानसिंह,चारभुजा मंदिर,अवंतिपुरा,उज्जैन	उपचार (विकलांग हेतु)	5000
10	मदनलाल पिता नाथूलाल,38 डाबरीपीठा,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
11	अभयकुमार इंदरमल मेहता,21/2 गीता कालोनी,उज्जैन	उपचार हेतु	10000
12	मोहनलाल शर्मा,कमल कालोनी,उज्जैन	उपचार (विकलांग हेतु)	4000
13	सुल्तान बी पति बाबू खॉ पठान,चंदननगर,उज्जैन	उपचार हेतु	3000
14	प्रदीप पिता महेन्द्र कैथवास,रेल्वे लाईन के पास,हीरामिल की चाल,उज्जैन	उपचार हेतु	3000
15	कु.प्राची पिता कमलेश गंगवाल,मेनरोड़ भैरुगढ़,उज्जैन	शिक्षा	3000
16	श्रीमती नर्मदा पति जुगलकिशोर नामदेव,11/2 सुदामानगर,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
17	भोलाराम पिता हीरालाल,उर्दुपुरा,उज्जैन	उपचार हेतु	5000
18	श्रीमती मंजूकुंवर पति कुशलसिंह,नि. कोटड़ा पो. बडौद,तह.गरोठ,मंदसौर	उपचार हेतु	4000
19	श्रीमती रीना सिकरवार,2/24 न्यू 48 क्वार्टर,भदभदा,भोपाल	उपचार हेतु	5000
योग:-			1,09,00

0

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/11/
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 802/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 10.12.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,भोपाल/मंदसौर की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन/गरौठ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,उज्जैन/गरौठ/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

- 12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-525/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 23.12.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 6 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-9103/11 दिनांक 21.12.2011 आर-3464	श्री मनीष बडगोत्या,66/11 किशनपुरा,मकसीरोड़, उज्जैन जिला उज्जैन (पुत्र नेवैद्य बडगोत्या केहाइपो ग्लायसिमिया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-525/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 23.12.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री मनीष बडगोत्या,66/11 किशनपुरा,मकसीरोड़,उज्जैन (पुत्र नेवैद्य बडगोत्या केहाइपो ग्लायसिमिया रोग के उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8202 / सा.-2 / 11 दिनांक 05.11.2011 के द्वारा श्रीमती शीला पति महेश,सखीपुरा, उज्जैन को उपचार हेतु रूपये 3000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है ।

2- श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के पत्र क्र. 808 दिनांक 28.12.2011 के द्वारा श्रीमती शीला के स्थान पर श्रीमती आशा करने के निर्देश दिये है ।

3- उक्त पत्र के परिपालन मे श्रीमती शीला पति महेश के स्थान पर श्रीमती आशा पति महेश,सखीपुरा,उज्जैन संशोधित किया जाता है ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पू. क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 808 दिनांक 28.12.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियो मे प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित श्रीमती आशा पति महेश,सखीपुरा,उज्जैन की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8100/सा.-2/11 दिनांक 02.11.2011 के द्वारा श्री गोविंद पिता रूपसिंह प्रजापत,मायापुरी,उज्जैन को उपचार हेतु रूपये 5,000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है ।

2- श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के पत्र क्र. 809 दिनांक 28.12.2011 के द्वारा उपनाम मे "प्रजापत" के स्थान पर "तेजावत" करने के निर्देश दिये है ।

3- उक्त पत्र के परिपालन मे श्री गोविंद पिता रूपसिंह प्रजापत के स्थान पर श्री गोविंद पिता रूपसिंह तेजावत,मायापुरी,उज्जैन संशोधित किया जाता है ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/11/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 809 दिनांक 28.12.2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियो मे प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री गोविंद पिता रूपसिंह तेजावत,मायापुरी,उज्जैन की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र. 811/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 31.12.2011 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	मो.इमरान पिता मो.रईस, इंदौरगेट, उज्जैन	अध्ययन हेतु	10,000
2	जान्हवी पिता विमल पंवार, डाबरीपीठा, उज्जैन	अध्ययन हेतु	10,000
3	योगेश पिता नारायणदास पौराणिक जी, 71/29 टी.टी.नगर, भोपाल	अध्ययन हेतु	5,000
4	प्रेम कुशवाह, 20 ईडब्ल्यूएस, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	उपचार हेतु	5,000
5	खुशबू परमार, 20 ईडब्ल्यूएस, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	विवाह हेतु	5,000
6	प्रियंका पिता चन्द्रप्रकाश पाराशर, 27 अरविंद नगर, उज्जैन	अध्ययन हेतु	10,000
7	प्रतिभा पिता रामस्वरूप प्रजापति, घासमण्डी, फ्रीगंज, उज्जैन	उपचार हेतु	5,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पृ. क्रमांक ----- / सा.-2 / 11 /

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 811/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./09 दिनांक 31.12.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर, भोपाल की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी, म.प्र. शासन, भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार, उज्जैन/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

12- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-8 / 2012 / एक (1) भोपाल दिनांक 12.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 1 से 4 एवं 6, 7 पर अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री चंदन पिता श्री भरतलाल जोशी, नि. बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में मृतको के वैध परिजनो को सहायता)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)
2	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री दिनेश पिता श्री शंकरलाल सोलंकी, नि. बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में मृतको के वैध परिजनो को सहायता)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)
3	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री मनीष पिता श्री नारायण कुशवाह, नि. बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में मृतको के वैध परिजनो को सहायता)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)
4	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री राधेश्याम पिता श्री पन्नलाल, नि. टोकरा बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में मृतको के वैध परिजनो को सहायता)	रुपये 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र)
5	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री सुनील पिता श्री सागिलराम जोशी, नि. बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में घायलो के उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (रु. पच्चीस हजार मात्र)
6	HCM-231 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-66	कलेक्टर, उज्जैन श्री शमसुद्दीन पिता श्री सैफुद्दीन, नि. बड़नगर जिला उज्जैन (दि.30.11.2011 को सड़क दुर्घटना में घायलो के उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (रु. पच्चीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

2

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-8 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 12.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,बड़नगर की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,बड़नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री -----
की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

कमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-7 / 2012 / एक (1) भोपाल दिनांक 12.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 4 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-205 / 12 दिनांक 09.01.2012 आर-67	कु.रानी खान पुत्री श्री मुश्ताक खान, नि. वार्ड क्र.01 मदारबड़, तराना जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पु. कमांक ----- / सा.-2 / 12 /

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-8 / 2012 / एक (1) भोपाल दिनांक 12.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, तराना की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री -----
की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- /सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-18 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 13.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 8 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-324 / 12 दिनांक 10.01.2012 आर-86	संचालक,भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर 21-23 जी.एफ.बी.एच.आर.सी.परिसर स्कीम न.54,इन्दौर श्रीमती शबाना बी पत्नि श्री नवाब खां,नि. म.न.94 नागौरी मोहल्ला,उज्जैन, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पृ. क्रमांक ----- /सा.-2 / 12 /
प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-18 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 13.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्रीमती शबाना बी पत्नि श्री नवाब खां,नि. म.न.94 नागौरी मोहल्ला,उज्जैन । (उपचार हेतु)
की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-13 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 16.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 12 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-84/12 दिनांक 07.01.2012 आर-61	संचालक,भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर 21-23 जी.एफ.बी.एच.आर.सी.परिसर स्कीम न.54,इन्दौर श्रीमती संतोष रघुवंशी पत्नि श्रीधनश्याम रघुवंशी,नि. 294 लक्ष्मीनगर,उज्जैन, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 45,000/- (रु. पैंतालीस हजार मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/12/
प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-13/2012/एक (1) भोपाल दिनांक 16.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्रीमती संतोष रघुवंशी पत्नि श्रीधनश्याम रघुवंशी,नि.294 लक्ष्मीनगर,उज्जैन । (उपचार हेतु)
की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ. शा.पत्र क्र.824/रा.म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 16.01.2012 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्री कैलाश सुर्यवंशी,ग्राम गुजरदा,जिला मंदसौर	उपचार हेतु ।	5,000
2	श्री नंदकिशोर पिता प्रेमसिंह ठाकुर,शितलामाता की गली,रामघाट मार्ग,उज्जैन	उपचार हेतु ।	10,000
		योग:-	15,000

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 824/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 16.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,मंदसौर की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,मंदसौर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,मंदसौर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ए 7-452/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.10.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 2 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-7977 / 11 दिनांक 12.10.2011 आर-3019 राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	श्रीमती विद्या रामी पति स्व.श्री महेश रामी 127 घी मण्डी, दौलतगंज, उज्जैन जिला उज्जैन (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 2,00,000 / - (रु. दो लाख मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ ए 7-452/2011/एक (1) भोपाल दिनांक 17.10.11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर रुपये 1,90,000/- का चेक श्रीमती विद्या रामी पति स्व.श्री महेश रामी को तथा रु.10,000/- तहसीलदार, उज्जैन का चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती विद्या रामी पति स्व.श्री महेश रामी, 127 घी मण्डी, दौलतगंज, उज्जैन।
(पति की मृत्यु हो जाने से सहायता) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

कमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

माननीय श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र.129/रा.म. (स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 23.01.2012 के अनुसार अंकित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	आवेदक का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
1	श्रीरोडूलाल पिता श्रीनंदाजी मेघवाल,निवासी भगवानपुरा,ग्राम पंचायत भैंसोदा,तहसील भानपुरा,जिला मंदसौर	उपचार हेतु ।	3,000 (रु.तीन हजार मात्र)
2	श्रीदुलीचंद पिता बब्बाजी,निवासी नीमथुर दरवाजा, तहसील भानपुरा,जिला मंदसौर	उपचार हेतु ।	2,000 (रु. दो हजार मात्र)
3	श्रीचन्द्रप्रकाश वैष्णव,ग्राम अघोरिया,ग्राम पंचायत अघोरिया,तहसील मंदसौर,जिला मंदसौर	सीढ़ियां निर्माण हेतु ।	11,000 (रु. ग्यारह हजार मात्र)
4	संयोजक,सरस्वती शिशु मंदिर,दलौदा सगरा, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर	फर्नीचर क्रय हेतु ।	15,000 (रु.पन्द्रह हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (9064) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राजसहायता (मतदेय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. कमांक ----- / सा.-2 / 12 /
प्रतिलिपि:-

उज्जैन दिनांक

- 1- निज सचिव, श्री पारसचन्द्र जैन,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,म.प्र.शासन,भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 129/रा. म.(स्व.प्र.)खा.ना.आ. एवं उ.स./2011 दिनांक 23.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित । निवास-कार्यालय डाबरीपीठा, उज्जैन ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- कलेक्टर,मंदसौर की ओर उक्त स्वेच्छानुदान की राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित कर स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्तियों को वितरण करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे ।
- 5- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को शीघ्र ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर की ओर राशि आहरित कर कलेक्टर, नीमच/मंदसौर/भोपाल को वितरण करवाए जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी,म.प्र.शासन,भोपाल को भिजवाया जाकर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी,मंदसौर/भानपुरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- तहसीलदार,मंदसौर/भानपुरा/की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 10- सांईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 11- संबंधित सर्व श्री/श्रीमती -----

की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
12- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-49 / 2012 / एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 14 से 16 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-919 / 12 दिनांक 28.01.2012 आर-217 सांसद श्रीप्रेमचन्द्र गुड्डू	श्री बनेसिंह पिता श्रीभैरूलाल, ईमलखेड़ी, तहसील तराना जिला उज्जैन (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
2	HCM-920 / 12 दिनांक 28.01.2012 आर-217	श्री ईश्वरलाल भील पिता श्रीहीरालाल, ग्राम धिनौदा, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (पुत्र भैरूलाल की कुएं में गिरकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 10,000 / - (रु. दस हजार मात्र)
3	HCM-921 / 12 दिनांक 28.01.2012 आर-217	श्रीमांगू सिंह राजपूत पिता श्रीहरिसिंह राजपूत, नारेली जिला उज्जैन (पुत्र विरेन्द्रसिंह की कुएं में गिरकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पृ. क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-49 / 2012 / एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, तराना / खाचरौद / उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, तराना / खाचरौद / उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित _____ की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-47 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 2 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-861/12 दिनांक 27.01.2012 आर-219	श्री देवेन्द्र सिकरवार,नि. म.न.201 गांधी नगर,आगर रोड़ जिला उज्जैन (पुत्र अक्षय सिकरवार के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन
उज्जैन दिनांक

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/12/
प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-47 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री देवेन्द्र सिकरवार,नि. म.न.201 गांधी नगर,आगर रोड़,उज्जैन। (पुत्र अक्षय सिकरवार के उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-50 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 23 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-908/12 दिनांक 28.01.2012 आर-216	श्री धन्नालाल आ. श्री हीरालाल,निवासी ग्राम खाचरौद जिला उज्जैन (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-50/2012/एक (1) भोपाल दिनांक 01.02.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,खाचरौद की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार,खाचरौद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री धन्नालाल आ. श्री हीरालाल,निवासी ग्राम खाचरौद,जिला उज्जैन। (पुत्री के उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-33/2012/एक (1) भोपाल दिनांक 25.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 5 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-545 / 12 दिनांक 19.01.2012 आर-146 विधायक श्रीदिलीपसिंह गुर्जर	श्री कालूराम चन्द्रवंशी पिता श्रीहरिराम कुटलाना, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (पुत्र कान्हा की कुंए मे गिरकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (रु. पांच हजार मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक ----- / सा.-2 / 12 /

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय" भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-33/2012/एक (1) भोपाल दिनांक 25.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी, वित्त-3, कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टोरेट, उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट, जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु।
- 10- संबंधित श्री कालूराम चन्द्रवंशी पिता श्रीहरिराम कुटलाना, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन। (पुत्र कान्हा की कुंए मे गिरकर मृत्यु हो जाने से सहायता) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष में दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11- उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष न.0734-2513100 फ़ैक्स न. 0734-2510878

क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

आदेश

राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, "मन्त्रालय" भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 7-44 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 28.01.2012 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी,म.प्र.शासन,भोपाल के आदेश के अनु.क्र.- 8 पर अंकित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार राशि स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, जो राशि आहरण कर, संबंधित को भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि।
1	2	3	4
1	HCM-857/12 दिनांक 24.01.2012 आर-207 राज्यमंत्री श्रीपारसचन्द्र जैन	कैलाश कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,बडोदरा गुजरात श्रीयुनुस अली,20 मिर्जावाड़ी वार्ड क्र.-20 जिला उज्जैन (पुत्र श्री जैद अली के ब्लड कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

2- निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश मे जिन प्रकरणो मे राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है,उन प्रकरणो मे राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

उक्त राशि वर्ष 2011-12 मांग संख्या-1-सामान्य प्रशासन विभाग-शीर्ष-2013-मंत्री परिषद्-105- मंत्रियो द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान-(44)-राज सहायता-001- प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यहां यह विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष मे एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पु. क्रमांक -----/सा.-2/12/

उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्य शिष्टाचार अधिकारी,म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग "मन्त्रालय"भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक .एफ ए 7-44 /2012/एक (1) भोपाल दिनांक 28.01.12 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- महालेखाकार,म.प्र.गवालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी,वित्त-3,कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर, संबंधित को आज ही भुगतान कर पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की ओर भेजने हेतु ।
- 5- प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा,कलेक्टोरेट,उज्जैन की ओर उक्त चेक प्राप्त कर संबंधित को आज ही भेजने हेतु ।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी,तराना की ओर सूचनार्थ ।
- 8- तहसीलदार,तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- साईंटिस "सी" डी.आई.ओ. एण्ड एस.एस.ए. कलेक्टोरेट,जिला उज्जैन की ओर बेवसाइट पर डालने हेतु ।
- 10- संबंधित श्री श्रीयुनुस अली,20 मिर्जावाड़ी वार्ड क्र.-20,उज्जैन । (पुत्र श्री जैद अली के ब्लड कैंसर रोग के उपचार हेतु) की ओर आवश्यक सूचनार्थ एवं लेख है कि एक वित्तीय वर्ष मे दोबारा अनुदान आदि प्राप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 11- उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग,जिला उज्जैन की ओर प्रकाशन हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन